आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0-87/2021

अनिता कुमारी.....वादी

बनाम्

पूजा देवी एवं अन्य .....विपक्षीगण

23.06.2023

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-707/2021, अनिता कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक 27.10.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

"....Accordingly, the present writ petition stands disposed off as not pressed, however, with liberty to the petitioner to file appropriate representation/appeal before the Divisional Commissioner, Saran Division at Chhapra against the decision of the District Level Selection Committee, Gopalganj and in case such a representation/appeal is filed within a period of four weeks from today, the same shall be adjudicated, in accordance with law and disposed off by passing a speaking and reasoned order within a period of eight weeks, thereafter after giving appropriate opportunity to the affected parties."

प्रासंगिक वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि जिला गोपालगंज में सदर अनुमंडल गोपालगंज एवं हथुआ अनुमंडल के अन्तर्गत **बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश,** 2016 के प्रावधानों के तहत रिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के चयन हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। इस क्रम में पंचायत लडौली, प्रखंड-बरौली के रोस्टर बिन्दु-724, अनुसूचित जाति (महिला) हेतु आरक्षित के लिए वर्तमान अपीलार्थी एवं विपक्षी सं0-03 द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। इस क्रम में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2020 को जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) की बैठक की कार्यवाही में उक्त रोस्टर बिन्दु हेतु अभ्यर्थी पूजा देवी, पति-विजेन्द्र कुमार बैठा, पो0-दंगसी, पंचायत-लडौली, प्रखंड-बरौली का अनुमोदन किया गया। उक्त से असंतुष्ट होकर अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-707/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 27.10.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद के विन्दुओं को संक्षिप्त रूप में रखते हुए बताया गया कि पंचायत लड़ौली, प्रखंड-बरौली में रोस्टर बिन्दु 724 के लिए उनका नाम स्वीकृत आवेदन पत्रों की औपबंधिक वरीयता सूची में तथा विपक्षी सं0-03, पूजा देवी का नाम अस्वीकृत आवेदन की औपबंधिक सूची में अंकित है। परंतु जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) की बैठक की

कार्यवाही जो जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के ज्ञापांक-677/आ0, दिनांक 31.08.2020 द्वारा संसूचित है में विपक्षी सं0-03 का चयन गलत रूप से (क्र0सं0 63 पर अंकित) कर लिया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि उक्त चयन के विरूद्ध उनके द्वारा जिला पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के समक्ष भी अपनी शिकायत रखी गयी थी, परंतु उक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। अंत में उनके द्वारा कहा गया कि उपर्युक्त के आधार पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2020 को आयोजित बैठक की कार्यवाही में विपक्षी सं0-03 के पक्ष में निर्गत पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति पर रोक लगायी जाए तथा प्रस्तुत वाद को स्वीकृत किया जाए।

विपक्षी सं0-03 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्त्ता के तर्कों का खंडन करते हुए कहा गया कि विपक्षी सं0-03, पूजा देवी द्वारा अपने पति का जाति प्रमाण-पत्र लगाए जाने के कारण उनका नाम अस्वीकृत आवेदन की औपबंधिक मेधा सूची में रखा गया था, परन्तु सभी अभ्यर्थी को अपने दावा/आपत्ति के निराकरण हेतु दिनांक 30.12.2019 तक का समय दिया गया था, जिसके आलोक में उनके द्वारा अपना जाति प्रमाण-पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष दिनांक 23.12.2019 के पूर्व समर्पित कर दिया गया।

उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि चूँकि विपक्षी सं0-03 को स्नातक में अपीलकर्त्ता से अधिक अंक प्राप्त है तथा उनके द्वारा अपनी जाति प्रमाण पत्र भी ससमय उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु उनका चयन किया जाना नियमसंगत है।

उक्त के आधार पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रस्तुत अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाए तथा जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) के निर्णय को यथावत रखा जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि गोपालगंज सदर अनुमंडल के तहत प्रखंड-बरौली, पंचायत-लडौली, रोस्टर बिन्दु-724 जो अनुसूचित जाति (महिला) हेतु आरक्षित के लिए अपीलकर्त्ता के साथ विपक्षी सं0-03 द्वारा भी आवेदन किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदन पत्रों की औपबंधिक वरीयता सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी सं0-03 दोनों स्नातक हैं। कम्प्यूटर योग्यता के रूप में DCA डिग्रीधारक है तथा विपक्षी का स्नातक का अंक प्रतिशत अपीलकर्त्ता से अधिक हैं। इस क्रम में आगे कहा गया कि अपीलकर्ता के अभियुक्ति कॉलम में अंकित है कि 'पूंजी पर्याप्त हैं एवं व्यापार स्थल तक जाने का रास्ता संकीर्ण है।' तथा विपक्षी सं0-03 के अभियुक्ति कॉलम में अंकित है कि 'व्यापार स्थल एवं पूंजी पर्याप्त है। जाति प्रमाण पत्र पति का हैं।' विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि विपक्षी सं0-03 द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर से यह स्पष्ट होता है कि आपत्ति निराकरण के क्रम में उनके द्वारा अपना जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसके आधार पर अंतिम रूप से उनका चयन किया गया है।

उक्त के आधार पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पारित आदेश त्रुटिरहित है, जिसे यथावत रखा जा सकता है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों, निम्न न्यायालीय अभिलेख के सावधानीपूर्वक अवलोकन, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुनने से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते है:-

(1) वर्तमान अपीलार्थी, अनिता कुमारी, पति-रमेश कुमार राम का नाम स्वीकृत आवेदनों की औपबंधिक वरीयता सूची में एवं विपक्षी सं0-03 पूजा देवी, पति-विजेन्द्र कुमार बैठा का नाम अस्वीकृत आवेदन की औपबंधिक सूची में था। तत्पश्चात विपक्षी सं0-03 द्वारा अपना जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने तथा अपने पति का जाति प्रमाण पत्र को नजरअंदाज किए जाने के अनुरोध के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अततः विपक्षी सं0-03 के पक्ष में फैसला दिया गया है।

(2) अपीलार्थी की तुलना में विपक्षी सं0-03 द्वारा स्नातक में अधिक अंक प्राप्त किया गया है।

(3) अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष के पास पी0डी0एस0 दुकान के संचालन हेतु समान रूप से पर्याप्त पूँजी एवं व्यापार स्थल की सुविधा है लेकिन अपीलार्थी के व्यापार स्थल तक जाने का रास्ता संकीर्ण है।

अतएव, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा सभी तथ्यों पर विचार करते हुए विपक्षी सं0-03, पूजा देवी के पक्ष में पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अभिलेख के अवलोकन में तथा इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता कोई संतोषजनक एवं स्पष्ट साक्ष्य/तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है कि क्यों विपक्षी सं0-03 के स्थान पर उन्हें पी0डी0सी0 अनुज्ञप्ति दी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामला अत्यंत स्पष्ट और सुबोध है, जिसमें जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पारित आदेश जो जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश ज्ञापांक-677/आ0, दिनांक 31.03.2020 द्वारा संसूचित है, को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।